

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार (बक्सर को छोड़कर)।

पटना, दिनांक 21/10/2016

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 9,23,31,000/- (नौ करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 9,23,31,000/- (नौ करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
  12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
  13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
  14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार (बक्सर को छोड़कर)।

पटना, दिनांक- 2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 9,23,31,000/- (नौ करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 9,23,31,000/- (नौ करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।


अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन  
ह०/-  
(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-05/2016 सा०-43..... /

पटना, दिनांक-24/10/2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव

क्र० सं०	जिला का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल
		06 01	13 01	13 02	13 03	13 04	28 01	
		12	13	14	15	16	17	
1	पटना	0	20,00,000	10,00,000	1,00,000	2,00,000	10,00,000	44,00,000
2	भोजपुर	0	3,00,000	3,00,000	45,000	7,00,000	3,00,000	16,75,000
3	कैमूर(ममुआ)	0	3,00,000	3,00,000	40,000	4,00,000	3,00,000	26,88,000
4	मुजफ्फरपुर	0	6,00,000	5,00,000	50,000	5,00,000	5,00,000	22,00,000
5	सीतामढ़ी	0	3,00,000	3,00,000	45,000	3,00,000	2,00,000	11,75,000
6	पू०चम्पारण	0	3,00,000	3,00,000	43,000	5,00,000	3,00,000	14,73,000
7	प०चम्पारण	0	3,00,000	3,00,000	43,000	4,00,000	3,00,000	13,73,000
8	शिवहर	0	2,00,000	2,00,000	30,000	2,00,000	2,00,000	8,60,000
9	वैशाली	0	3,00,000	2,00,000	40,000	3,00,000	2,00,000	10,70,000
10	दरभंगा	0	4,00,000	5,00,000	50,000	5,00,000	5,00,000	20,00,000
11	समस्तीपुर	0	4,00,000	3,00,000	50,000	4,00,000	3,00,000	14,80,000
12	सारण	0	3,00,000	3,00,000	40,000	5,00,000	3,00,000	14,70,000
13	सिवान	46,000	3,00,000	3,00,000	42,000	10,00,000	2,00,000	19,18,000
14	गोपालगंज	0	3,00,000	2,00,000	40,000	3,00,000	2,00,000	10,70,000
15	भागलपुर	0	4,00,000	5,00,000	60,000	8,00,000	5,00,000	230,90,000
16	बांका	0	2,00,000	2,00,000	40,000	2,00,000	2,00,000	8,70,000
17	मुंगेर	0	6,00,000	5,00,000	60,000	6,00,000	5,00,000	23,10,000
18	लक्ष्मीसराय	0	2,00,000	1,00,000	30,000	3,00,000	2,00,000	8,60,000
19	जमुई	0	2,00,000	1,00,000	30,000	3,00,000	2,00,000	24,75,500
20	खगड़िया	0	6,00,000	5,00,000	60,000	4,00,000	5,00,000	21,10,000
21	बेगूसराय	0	3,00,000	2,00,000	40,000	4,00,000	3,00,000	12,70,000
22	पूर्णिया	0	6,00,000	5,00,000	60,000	3,00,000	5,00,000	20,10,000
23	कटिहार	0	4,00,000	2,00,000	50,000	5,86,000	2,00,000	22,39,800
24	अररिया	0	2,00,000	1,00,000	30,000	2,00,000	2,00,000	7,60,000
25	किशनगंज	0	2,00,000	1,00,000	30,000	2,00,000	2,00,000	7,60,000
26	सहरसा	0	6,00,000	5,00,000	60,000	6,00,000	5,00,000	23,10,000
27	मधेपुरा	0	3,00,000	2,00,000	40,000	2,00,000	2,00,000	9,70,000
28	सुपौल	0	2,00,000	2,00,000	30,000	4,00,000	2,00,000	10,60,000
29	औरंगाबाद	0	2,00,000	2,00,000	40,000	2,00,000	2,00,000	79,63,700
30	मधुबनी	0	4,00,000	3,00,000	40,000	3,00,000	3,00,000	13,70,000
31	रोहतास	0	3,00,000	2,00,000	50,000	8,00,000	3,00,000	16,80,000
32	नालंदा	0	6,00,000	4,00,000	1,00,000	6,00,000	4,00,000	81,40,000
33	गया	0	6,00,000	5,00,000	1,00,000	6,00,000	5,00,000	23,50,000
34	नवादा	0	2,00,000	2,00,000	50,000	2,00,000	2,00,000	8,80,000
35	जहानाबाद	0	2,00,000	2,00,000	40,000	2,00,000	2,00,000	8,70,000
36	अरवल	0	2,00,000	1,00,000	40,000	1,00,000	1,00,000	5,70,000
37	शेखपुरा	0	2,00,000	1,00,000	30,000	1,00,000	1,00,000	5,60,000
कुल योग -		46,000	142,00,000	111,00,000	17,68,000	147,86,000	115,00,000	923,31,000

(नौ करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य  
स्थापनाएं-0001-अनुमण्डलीय स्थापना) आवंटन :-

पृष्ठ-1/2

क्र० सं०	ज़िला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	यात्रा व्यय
		01 01	01 03	01 04	01 06	01 07	10	11 01
1	2	3	5	6	8	9	10	11
1	पटना	0	0	0	0	0	0	1,00,000
2	भोजपुर	0	0	0	0	0	0	30,000
3	कैमूर(भमुआ)	5,65,000	7,07,000	42,000	4,000	0	13,18,000	30,000
4	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	50,000
5	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	30,000
6	पू०चम्पारण	0	0	0	0	0	0	30,000
7	प०चम्पारण	0	0	0	0	0	0	30,000
8	शिवहर	0	0	0	0	0	0	30,000
9	वैशाली	0	0	0	0	0	0	30,000
10	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	50,000
11	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	30,000
12	सारण	0	0	0	0	0	0	30,000
13	सिवान	0	0	0	0	0	0	30,000
14	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	30,000
15	भागलपुर	90,00,000	108,00,000	7,00,000	2,00,000	80,000	207,80,000	50,000
16	बांका	0	0	0	0	0	0	30,000
17	मुंगेर	0	0	0	0	0	0	50,000
18	लक्ष्मीसराय	0	0	0	0	0	0	30,000
19	जमुई	6,00,000	7,50,000	2,70,000	0	5,500	16,25,500	20,000
20	खगड़िया	0	0	0	0	0	0	50,000
21	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	30,000
22	पूर्णिया	0	0	0	0	0	0	50,000
23	कटिहार	95,000	1,59,000	4,65,000	45,000	9,800	7,73,800	30,000
24	अररिया	0	0	0	0	0	0	30,000
25	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	30,000
26	सहरसा	0	0	0	0	0	0	50,000
27	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	30,000
28	सुपौल	0	0	0	0	0	0	30,000
29	औरंगाबाद	31,00,000	39,00,000	63,000	28,000	2,700	70,93,700	30,000
30	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	30,000
31	रोहतास	0	0	0	0	0	0	30,000
32	नालंदा	25,00,000	30,00,000	3,00,000	1,00,000	1,00,000	60,00,000	40,000
33	गया	0	0	0	0	0	0	50,000
34	नवादा	0	0	0	0	0	0	30,000
35	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	30,000
36	अरवल	0	0	0	0	0	0	30,000
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	30,000
	कुल योग -	158,60,000	193,16,000	18,40,000	3,77,000	1,98,000	375,91,000	13,40,000

contd....

8